न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 149/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ताडावास हाल निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 भूराराम पुत्र भागूराम जाति कुम्हार निवासी खींवसर तहसील खींवसर।		1 सोहनलाल पुत्र भंवरलाल 2 ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल 3 कमलकिशोर पुत्र भंवरलाल जातियान लखारा निवासीगण खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। 4 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खींवसर पंचायत समिति खींवसर।

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री महेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से।

3 श्री कुन्दन सिंह आचीणा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 29.07.2024

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पट्टा संख्या 31 मिसल नम्बर 7/71–72 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.04.2018 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से कुन्दन सिंह आचीणा ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 31 की फोटोप्रति, बेचाननामा की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर की जमाबंदी सम्वत् 2038–41 की फोटोप्रति, फर्द मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर के खसरा नम्बर 1567/381, 381/1568, 379, 652 के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर की खतौनी सम्वत् 2067 से 70 की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर की खतौनी सम्वत् 2051 से 54, 2038–41, 2059–62, 2063–66, 2067–70 की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर के नामान्तरण संख्या 564 की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर के नामान्तरण संख्या 1415, 1453, 1472, 1477, 1482, 1487, 1940,1943, 2937 तथा 3190 की फोटोप्रति, मौका फर्द रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नागौर के प्रकरण संख्या 12/18 के निर्णय दिनांक 05.01.2023 की फोटोप्रति, एफआर की फोटोप्रति, ग्राम खींवसर के नक्शा किश्तवार की फोटोप्रति पेश की तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 नागौर के प्रकरण संख्या 87/02 के निर्णय दिनांक 27.05.03 की फोटोप्रति, दीवानी वाद की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 23/16 के निर्णय दिनांक 26.04.2018 के फोटोप्रति, पट्टा पत्रावली की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– अप्रार्थीगण ने आपसी मिलावट व अपराधिक षडयंत्र के तहत विवादित सदोष तैयार किया गया कथित पटटा स्पष्ट रूप से फर्जी, नुमाईशी, अवैध व शून्य प्रभावी शुरू से ही था व हैं जिसे निगरानी के जरिये निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(2)–तथाकथित विवादित विक्रय पत्र आबादी भूमि का बताया जा रहा है जबकि उसके आधार पर निगरानीकर्ता की भूमि पर अप्रार्थीगण जो झूठा हक लगा रहे है वह भूमि खातेदारी की कृषि भूमि है जो राजस्व रेकर्ड व पटवारियों की टीम द्वारा रूबरू गवाहान के तैयार की गयी, ऐसी स्थिति में कथित भूमि आवादी की नहीं होने से उक्त पट्टा अपने आप में अवैध व शून्य हो जाता है तथा इस आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– चूंकि कथित पट्टा फर्जी, छल कपट व षडयंत्र से तैयार किया गया कागजी दस्तावेज है जो शुरू से निगरानीकर्ताओ के विधिक हक, अधिकारों के प्रति बातिल व बेअसर था व है लेकिन चूंकि अप्रार्थीगण कथित फर्जी पटटे की आड में बार बार निगरानीकर्तागण के विरूद्व मिथ्या कार्यवाही कर रहे है व कथित पटटा की आड में निगरानीकर्ता की खातेदारी की भूमि को आबादी की भूमि बताकर जबरन कब्जा

29/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

करने पर आमादा होने से निगरानीकर्तागण के लिए उक्त कथित फर्जी पट्टे को निगरानी के जरिये निरस्त करवाने का निर्णय प्राप्त करना आवश्यक होने से यह निगरानी प्रस्तुत की गई तथा पट्टा निरस्तीकरण के लिए न्यायालय हाजा ही सक्षम न्यायालय होने से निगरानी हाजा स्वीकार कर कथित पटटा निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है क्योंकि ऐसे पट्टे का कोई वजूद ही नहीं है इसलिए भविष्य में उसको आधार बनाकर निगरानीकर्ता को नाजायज तंग परेशान नहीं किया जा सके, इन परिस्थितियों में कथित पट्टा निरस्ती का निर्णय पारित करना विधि सम्मत है।

2(4)– अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता भंवरलाल के नाम का जो कथित पट्टा बताया जा रहा है वह उसमें जो पडौस दिये है वह कथित जायगा से मेल नहीं खाते हैं तथा उक्त जायगा ग्राम खींवसर की आबादी की कोई जायगा नहीं होकर खसरा नम्बर 1567/381 में से प्रार्थी भुराराम की खातेदारी की थी तत्पश्चात भुराराम द्वारा प्रार्थी आमप्रकाश को दिनांक 11.06.2015 को उक्त जायगा बेचान की जा चुकी है तथा इस संबंध में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा विवाद करने व फर्जी पट्टे की आड में झूठा हक जताने के लिए पुलिस थाना खींवसर में अप्रार्थी सोहनलाल ने एक मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 226/ दिनांक 4.12.2015 दर्ज करवाई जिस पर अनुसंधान अधिकारी ने तहसीलदार खींवसर को पत्र लिख कर उक्त जायगा के संबंध में जांच करवाने व मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड के बारे में अवगत करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 15.01.2016 को तहसीलदार खींवसर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/174 दिनांक 14.01.2016 की पालना में पटवारियों की टीम ने मौका निरीक्षण कर माका फर्द तैयार की जिसके अनुसार यह पाया गया कि खींवसर के खसरा नम्बर 1567/381 रकवा 3–18–15 बीघा में से भुराराम पुत्र भागुराम कुम्हार द्वारा अपने हिस्से में से 5450 वर्गफुट ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ताडावास (निगरानीकर्ता संख्या 1) को बेचान दिनांक 11.06.2015 को किया इस संबंध में विवाद होने से एसएचओ खींवसर के मु.न. 226/दिनांक 04.12.2015 के संन्दर्भ में पुलिस, पक्षकारान व सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर के रूबरू उक्त भूमि का सीमांकन मुताबिक नक्शा व रिकॉर्ड के अनुसार किया गया, नाप करने पर उक्त विवादित भूभाग खसरा नम्बर 1567/381 का भाग पाया गया। उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में न पाकर खातेदारी की भूमि पाई गई। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1567/381 भुराराम पुत्र भागुराम कुम्हार वगैरा के सहखातेदारी में दर्ज है फर्द मौके पर पढ कर सुनाई व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये, पक्षकार सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति लखारा (अप्रार्थी) ने भंवरलाल पुत्र खींयाराम के नाम ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा 1972 में पट्टा नम्बर 31 पेश किया जो आबादी क्षेत्र का है उक्त पटटा का इस खसरा नम्बर 1567/381 से कोई संबंध नहीं है। कथित पट्टा में बताये पडौस की कोई जायगा मौक पर मौजूद है ऐसी स्थिति में पट्टा अवैध व विधि विरूद्व तैयार किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– खसरा नम्बर 1567/381 रकबा 3–15–18 बीघा ग्राम खींवसर राजस्व रेकर्ड में निगरानीकर्ता /प्रार्थी संख्या 2 भुराराम की खातेदारी का है जिसके नाम खातेदारी संवत 2038–2041 व उससे पूर्व में रेकर्ड मे दर्ज रही है साथ ही समय समय पर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम जमाबंदी में इन्द्राज किया जाता रहा है व राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 2 भुराराम के नाम उक्त खसरा नम्बर 1567/381 की भूमि लगातार बरसो से दर्ज रही है इस कारण वादग्रस्त भूखण्ड की भूमि का एक मात्र खातेदार काबिज प्रार्थी संख्या 2 हुआ तत्पश्चात जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र के प्रार्थी निगरानीकर्ता संख्या 1 ओमप्रकाश खरीदसुदा कब्जासुद मालिक हुआ रहा व है। साथ ही वादग्रस्त भूखण्ड मौका रिपोर्ट दिनांक 15.01.2016 के मुताविक जो तहसीलदार खींवसर द्वरा गठित टीम द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी जिसके अनुसार भी उक्त भूखण्ड के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये पट्टा मिसल संख्या 7/71–72 दिनांक 06.05.1972 पट्टा संख्या 31 से कोई संबंध नहीं रखता है। प्रार्थी संख्या 1 के खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से किसी अन्य पट्टा वाली भूमि पर पट्टा इस भूमि का होना बतला कर हस्तगत भूमि को हडपने का रहा है जबकि हस्तगत भूमि प्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा कब्जासुद पट्टासुदा भूमि है।

2(6)–अप्रार्थी सोहनलाल ने कथित पटटा की आड में मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें सम्पूर्ण अनुसार में अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं होना व ऐसे पटटे की कोई जायगा नहीं होना अनुसंधान अधिकारी ने पाया जिस कारण उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद जांच एफ.आर. न्यायालय में पेश की गयी, इस प्रकार फौजदारी प्रकरण में भी जांच में कथित पट्टा फर्जी पाया गया है व पटवारियों की टीम द्वारा जांच की गयी जिसमें भी पटटा की भूमि नहीं होने व खसरा नम्बर 1567/381 की निगरानीकर्ता की कब्जासुद खातेदारी की भूमि होना पाया गया है ऐसी स्थिति में कथित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता की उक्त कब्जासुद पट्टासुद स्वामित्व की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 या उनके पिता का

9/7/17

अपर कलक्टर, नागौर

कभी कब्जा हक अधिकार नहीं रहा था। इसलिए बिना कब्जा, बिना हक अधिकार, बिना आबादी भूमि हुए कथित फर्जी पट्टे से अप्रार्थीगण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए हस्तगत पट्टा जैर निगरानी अपास्त किये जाने योग्य है।

2(7)– पट्टा जेर निगरानी बनाने के लिए न तो ग्राम पंचायत मे कोई आवेदन पेश हुआ, न इस संबंध में मिसल कायम हुई, न कोई निरीक्षण किया गया न पट्टा हेतु जो विधिक कार्यवाही व प्रक्रिया बनी हुई है उसमें पालना हुई न ही ग्राम पंचायत ने ऐसा कोई पट्टा कभी जारी ही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ अपराधिक षडयंत्र रचकर कथित फर्जी पट्टा का दस्तावेज तैयार किया जो गैर कानूनी होने से शुरू से ही अवैध व शून्य था तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)– अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई मालिकाना हक व कब्जा नहीं रहा न ही उक्त भूमि कथित कस्बा खींवसर की आबादी की भूमि है इसलिए पट्टा जैर निगरानी जारी किया है जो अवैध है। कथित पटटा जैर निगरानी जारी करने हेतु न तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रोविजनल प्रस्ताव पारित हुआ, न ही उसके संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक में समस्त सदस्यो की मौजूदगी में विचार विमर्श किया गया है, न आपति आमंत्रण सूचना प्रकाशित हुई, न मिसल कायम हुई इन परिस्थितियों में ऐसे फर्जी पट्टे का कोई महत्व नहीं रह जाता है जिसकी कोई मिसल ही नहीं हो, जिससे भी कथित पट्टा अवैध व शून्य था व है क्योंकि किसी की खातेदारी की भूमि का ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं होता है न ग्राम पंचायत ने ऐसी खातेदारी की भूमि का कभी पट्टा जारी किया है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत खींवसर ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पट्टा 1972 का जारी किया हुआ है, जबकि निगरानी 2018 में प्रस्तुत की है जिससे निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। सन 1996 में बाड आई जिससे सारा रिकार्ड नष्ट हो गया, जिससे ग्राम पंचायत की पत्रांवली पंचायत में नहीं है। मूल पट्टा रजिस्टर में यह पट्टा दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं है। उक्त पट्टा आबादी भूमि पर जारी किया गया है तथा अपने कथन के समर्थन में 2012 (2) डीएनजे (राज) पेज नम्बर 602, 2012 (1) डीएनजे (राज) पेज नम्बर 506, 2015 (4) डीएनजे (राज) पेज नम्बर 1853, 2012 (2) डीएनजे (राज) पेज नम्बर 1002 तथा 2015 (2) आरआरटी पेज नम्बर 967 नजीरे पेश की।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पट्टा संख्या 31 मिसल नम्बर 7/71–72 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार तहसीलदार खींवसर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/174 दिनांक 14.01.2016 की पालना में पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.01.16 के अनुसार खसरा नम्बर 1567/381 का उक्त भू भाग आबादी क्षेत्र में नहीं पाया गया। एसएचओ खींवसर के मुकदमा नम्बर 226/15 की एफ.आर. रिपोर्ट में अंकन है कि उक्त भू खण्ड का तहसीलदार खींवसर के आदेशानुसार सीमाज्ञान करवाया, जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 1567/381 का हिस्सा है। उक्त खसरा की किस्म आबादी भूमि नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने भी अपनी बहस में यह स्पष्ट नहीं किया कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया है। पट्टे पर अंकित पडौस का भी अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि पर जारी नहीं करके राजस्व भूमि पर जारी किया है। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली, प्रस्ताव रजिस्टर, रसीद बुक के अभाव में यह नही कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत ने पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्णतया पालना की हो। अप्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पट्टा संख्या 31 मिसल नम्बर 07/1971–72, निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/7/19

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर